

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1017 सन 2020

अनवान :-

1. अशोक कुमार पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. विकास पुत्र मांगेलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. मांगेलाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. उर्मिला देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
3. संतोष कुमारी पिलानिया पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 5.8190 हैय भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज थी वादी के दादा हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र के पुत्र है अर्थात हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जिनके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है। अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है।


प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की वुआ है एवं हरिसिंह की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 यहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 के एनएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 5.8190 हैय भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज थी वादी के दादा हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र के पुत्र है अर्थात हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जिनके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है। अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बुआ है एवं हरिसिंह की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 के एनएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 5.8190 हैय भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वाद भूमि दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 के एनएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 5.8190 हैय भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर 2. 5300 हैय भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है एवं 1. 83425 हैय भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
चाहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अशोक कुमार पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विकास पुत्र मांगेलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मांगेलाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. उर्मिला देवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. संतोष कुमारी पिलानिया पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1017 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 95/92 की कुल 5.8190हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर 2.5300हैक् भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं 1.83425हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर